बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
संकल्प

विषय— लघु बाँध (जमींदारी बाँध सहित) के जीर्णोद्धार, रख-रखाव, मरम्मती एवं निर्माण हेतु नीति में संशोधन ।

लघु बाँध (जमींदारी बाँध सहित) के जीर्णोद्धार, रख रखाव, मरम्मती एवं निर्माण हेतु पत्रांक बाढ़ (मो0) सि0 वि0—60/2012— 3390 दिनाक 16.12.2013 द्वारा संकल्प निर्गत है । इस संकल्प की कंडिका—3 में संशोधन हेतु विभागीय संलेख ज्ञापांक— बाढ़ (मो0) सि0 वि0—60/2012— 2000 दिनांक 25.08.2014 द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 26.08.2014 में मद स0 10 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है । तदनुसार उपर्युक्त संकल्प के कंडिका—3 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है :—

" जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जा रहे 374 लघु बाँधों का जीर्णोद्धार कार्य के अतिरिक्त राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत लघु बाँधों (जमींदारी बाँध) का जीर्णोद्धार एवं इसके सुरक्षा के लिए कटाव निरोधक कार्य तथा बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा ही पूर्व की भांति किया जायेगा । पूर्व के निर्मित इन लघु बाँधों का यथासंभव वैज्ञानिक तरीके से तकनीकी मापदंड पर उपलब्ध भूमि में ही जीर्णोद्धार एवं मरम्मति कराया जायेगा ।"

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य के असाधारण अंक में तुरत प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—
(दीपक कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक — बाढ़ (मो0) सिं0 वि0 —60/12 — पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशनार्थ एवं उसकी कम से कम एक हजार प्रतियाँ जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

अ3- C D

ह0/—
(दीपक कुमार सिंह)
सचिव

ज्ञापांक — बाढ़ (मो0) सिं0 वि0 —60/12 —2078 पटना, दिनांक— 30.8.14

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विकास विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/8/14
(दीपक कुमार सिंह)
सचिव